

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा जिला-भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :- महीपाल सिंह आर0ए0एस0

मुकदमा संख्या :- 20/2021 अ.पत्र

प्रशासन मॉके के संग अनिवारन-2021

1. भागूलाल चित्त) मांगीलाल कुगावत गिवासी सखलपुर) तहसील करेड़ा
प्रार्थी.....

बनाम

1. राजस्थान राज्य परिषदे तहसीलदार सा० करेड़ा

विपक्षीगण..

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आदेश ::

दिनांक 09/12/2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0राज0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सखलपुर) पटवार हल्का (मांगीरिया) तहसील करेड़ा में उसके खाते/संयुक्त खातों की खाता संख्या 72-आराजी नम्बर 397/1, 519, 521, 522, 523, 527, 715/257, 0.5185, 0.2150, 0.2023, 0.0253, 0.0379, 0.1644, 0.1265

कुल किता 7 रकबा 1.2899

हैक्टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 09/12/2021 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी होने का अर्देशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इनत तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम सखलपुर) पटवार हल्का (मांगीरिया) तहसील करेड़ा में स्थित खाता संख्या 72-आराजी नम्बर 397/1, 519, 521, 522, 523, 527, 715/257, 0.5185, 0.2150, 0.2023, 0.0253, 0.0379, 0.1644, 0.1265

कुल किता 07 रकबा 1.2899

हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक (विभागीय) को 600/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मॉके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मॉके व कब्जे की यथारिथति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

संलग्न:- प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

प्रभाश उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

PP20/2021

2021/10/15

प्रभाश उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा